पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 16555
Date / दिनांक: 25/10/24

Patna Municipal Corporation
Date: 25-10-2024
2024216555

सेवा में,

सभी कार्यपालक पदाधिकारी,
पटना नगर निगम।

विषय :- छठ महापर्व, 2024 के अवसर पर पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदित समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग :- जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक 1755, दिनांक 23.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि छठ महापर्व, 2024 के अवसर पर पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा कतिपय समस्याओं/कठिनाईयों प्रतिवेदित की गई है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 31.10.2024 तक समुचित निराकरण कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसभी निदेशित है कि छठ महापर्व, 2024 के अवसर पर पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदित समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण कराते हुए प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि समेकित वस्तुस्थिति से जिलाधिकारी, पटना को अवगत कराया जा सकें।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/10

अपर नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।

Rakesh 24.10.24

ज्ञापांक :- Sani/VI/251/351/2024 - 16555, दिनांक :- 25/10/24

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25/10

अपर नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।

Rakesh 24.10.24

पटना समाहरणालय, पटना
(छठ कोषांग)
(अनुभाजन कार्यालय, क्वार्टर नं0–3, छज्जुबाग, पटना)
e-mail : rationingpatna@gmail.com

पत्रांक–13–02 / 2024– 1755 / अनु., पटना, दिनांक– 23/10/2024

प्रेषक,

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से.
जिलाधिकारी, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना।
महाप्रबंधक, बी.एम.एस.आई.सी.एल., पटना।
अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना।
श्री ओम प्रकाश सिन्हा, उप महाप्रबंधक (तकनीकी), बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना।
महाप्रबंधक, पेसू, पटना।
अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना।
नजारत उप समाहर्त्ता, पटना।
कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना।
कार्यपालक अभियंता, सरंचना प्रमंडल सं.–01, भवन निर्माण विभाग, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत नगर परिषद।

विषय :– छठ महापर्व, 2024 के अवसर पर पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदित समस्याओं / कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

छठ महापर्व, 2024 के अवसर पर पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा कतिपय समस्याएं / कठिनाईयॉ प्रतिवेदित की गई हैं जिसकी घाटवार सूची संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक–31.10.2024 तक समुचित निराकरण कराने की कृपा की जाए। कृत कार्रवाई से छठ कोषांग को भी अवगत कराया जाए।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/10/24
जिलाधिकारी,
पटना।

छठ महापर्व, 2024

पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों की तैयारियों के क्रम में सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदित समस्याएं/कठिनाईयाँ
(प्रतिवेदन तिथि – 22.10.2024)

सेक्टर सं.	क्रम सं.	घाट का नाम	छठ घाटों पर प्रतिवेदित समस्याएं/कठिनाईयाँ	कार्यकारी विभाग/एजेंसी जिससे तुरंत समुचित कार्रवाई अपेक्षित है
01	1	रामजीचक स्कूल घाट	• एप्रोच पथ की सफाई आवश्यक है। • कुछ तार लूज हैं, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।	नगर परिषद दानापुर निजामत/महाप्रबंधक, पेसू
	2	जहाज घाट (बाटा के बगल में)	• स्ट्रीट लाईट एक पोल का खराब है। दो पोल पर लाईट नहीं है जिसे लगाने की आवश्यकता है।	नगर परिषद दानापुर निजामत
	3	रामजीचक नहर घाट	• एप्रोच पथ टूटा–फूटा है, मरम्मति की आवश्यकता है। • लाईट एवं हाई मास्ट लाईट्स खराब है।	नगर परिषद दानापुर निजामत/महाप्रबंधक, पेसू
04	4	मखदुम खिलजी के सामने बालू पर घाट गेट संख्या 83 से 88	• गेट संख्या 83 से 88 के बीच अवैध रूप से खटाल का निर्माण कर दिया गया है, जिसे हटाना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। • गेट नं0–83 के अंडर पास (पुल के नीचे) नमामि गंगे का पाईप अब तक नहीं हटाया गया है. जिसके कारण रास्ता संकीर्ण हो गया है। छठ महापर्व के दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। • गेट नं0–83 के अंडर पास (पुल के नीचे) से छठ घाट तक जाने के रास्ता में भूमि समतल नहीं है, काफी उतार–चढ़ाव है, जिसे समतल कराना अनिवार्य है। • गेट संख्या–83 एवं 88 के छठ घाटों पर कई जगहों पर दलदल की स्थिति है, जिसे बालू भरकर सही करना अनिवार्य है।	पटना नगर निगम/बुडको/अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना
06	5	कलेक्ट्रेट घाट	• घाट पर जाने के रास्ते में नवीन समाहरणालय निर्माण कार्य के क्रम में निर्माण सामग्री एवं अन्य अवशिष्ट वस्तुओं के रास्ते पर बिखराव के कारण आवागमन का रास्ता संकीर्ण हो गया है, जिसे साफ करवाने की आवश्यकता है।	कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं.–01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
07	6	पटना कॉलेज घाट	• अशोक राज पथ से पटना कॉलेज घाट आने के लिए मुख्य संपर्क पथ पटना कॉलेज परिसर से होकर गुजरता है जो काफी टूटा हुआ है। इसकी मरम्मति कराई जाने की आवश्यकता है। • घाटों पर साफ–सफाई की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
07	7	कदम घाट	• स्टील की स्थाई बैरेकेडिंग को छठ के दो दिन पूर्व हटाए जाने की आवश्यकता है। छठ की अवधि तक यह बैरेकेडिंग हटी हुई रहेगी, पुनः छठ बाद इसे जाम कर लगा दिया जाएगा।	पटना नगर निगम/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना

			• कदम घाट तक आने वाले सम्पर्क पथ के बीच–बीच में पेड़ की डालियां लटकी हुई है, इसकी छंटाई करने की आवश्यकता है। • सम्पर्क पथ जगह–जगह टूटा हुआ है, इसे Sand Filling आदि कराए जाने की आवश्यकता है। • सम्पर्क पथ में पर्याप्त प्रकाश–व्यवस्था यथा, बल्ब, एल.ई.डी., मरकरी आदि लगाए जाने की जरूरत है।	
07	8	काली घाट	• काली मन्दिर की तरफ प्रवेश करने वाले रास्ते में एक लोहे का ग्रिल–गेट लगा हुआ है, जिसे हर वर्ष "भवन निर्माण विभाग" के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है. पुनः छठ के बाद उसकी बेल्डिंग करा दी जाती है। • दरभंगा हाउस के सामने सम्पर्क पथ की मरम्मति कराए जाने की आवश्यकता है। • जगह–जगह बोल्डर रखा हुआ है, जिसमें छड़ बाहर की तरफ निकला हुआ है जिसे हटाए जाने की आवश्यकता है। • कुछ जगहों पर नाली को तोड़ दिया गया है, उसकी भी मरम्मति कराए जाने की आवश्यकता है। • PMCH के पार्किंग Building निर्माण में लोहे–लक्कर सम्पर्क पथ पर पड़े हुए हैं। इसे हटाया जाना है। • दरभंगा हाऊस व पटना कॉलेज, पटना के बीच एक लोहे का ग्रिल गेट लगा हुआ है, जिसमें ताला लगा हुआ है। इस ताले को छठ के अवसर पर खोल दिया जाता है। इस हेतु पटना विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को गेट खुलवाने हेतु पत्र लिखा जा सकता है।	पटना नगर निगम/ कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल/उप–महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/ महाप्रबंधक, BMSICL/ अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना
07	9	वंशी घाट	• वंशी घाट तक आने के लिए एक मुख्य सम्पर्क पथ हैं, जो पी.एम.सी.एच. के नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल के बीच से होकर आता है। इस पथ को फिलहाल बन्द कर दिया गया है। यदि संभव हो तो छठ के दिन के लिए इस पथ को चालू किया जा सकता है। • सम्पर्क पथ में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जाती है। इस हेतु नगर निगम बांकीपुर अंचल को निदेशित किया जा सकता है।	पटना नगर निगम/अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना
	10	अंटा घाट	• अंटा घाट के नाला से गंदा पानी आ रहा है जिससे घाट का पानी गंदा हो रहा है। इस नाले के निःसृत पानी की दिशा बदलने की आवश्यकता हैं।	पटना नगर निगम
08	11	कृष्णा घाट	• घाट पर जाने वाले सम्पर्क पथ में अस्थाई अवरोध को हटाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम/अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना

08	12	बरहरवा घाट	• घाट पर जाने वाले सम्पर्क पथ में अस्थाई रूप से मवेशी बंधा हुआ पाया गया है जिसे हटाए जाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम/अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना
08	13	गोलकपुर बालू घाट	• सम्पर्क पथ की समस्या है।	पटना नगर निगम
11	14	हनुमान घाट, कोयला घाट, घरियारी घाट, नरकट घाट, लोहरवा घाट, गोसाई घाट, राजा घाट, भरहरवा घाट, करनालगंज घाट	• एप्रोच रोड करीब 50 मीटर खराब है। • हनुमान घाट के सम्पर्क पथ में एक जगह गैप है, उसे भरने की आवश्यकता है। • सम्पर्क पथ में कहीं–कहीं नाला का ढक्कन खुला हुआ है, जिसे ढ़कने की आवश्यकता है। • सम्पर्क पथ में सभी स्ट्रीट लाईट खराब है, जिसे ठीक कराने की आवश्यकता है। • हाई मास्ट लाईट अधिकांश जगह खराब है, जिसे ठीक कराना आवश्यक है। • शाम एवं रात में पुलिस गश्ती आवश्यक है, कुछ नशेड़ी द्वारा लाईट खराब कर दिया जाता है। • सभी घाटों पर पानी का टैंकर आने में असुविधा है। अतः सभी घाटो के बगल में अस्थाई पाईप द्वारा नल–जल की व्यवस्था अपेक्षित है। • नाला का पानी नदी में गिरती है उसके लिए ह्यूम पाईप लगाने तथा आस–पास समतलीकरण की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम/ महाप्रबंधक, पेसू
12	15	जुडिसियल घाट	• घाट पर जाने हेतु पहुँच पथ से मिट्टी हटा ली गयी है, परन्तु रोड के किनारे लगे लोहे के पट्टी को हटाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम/उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना
	16	कंटाही घाट	• कंटाही घाट से कीचड़ (गाद) हटाने की आवश्यकता है। यहाँ से शिप को भी हटाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
	17	महावीर घाट	• महावीर घाट पर सड़क के दूसरे किनारे पर नमामि गंगे योजना अन्तर्गत पानी के पाईप बदलने के कारण गड्ढा कर दिया गया है, जिसे वंद कराने की आवश्यकता है। • महावीर घाट से गुलजारवाग प्रेस जाने वाले रास्ता में पेड़ गिरा हुआ है जिसे हटाने की आवश्यकता है।	वुडको/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना
15	18	कंगन घाट	• साफ–सफाई का काम चल रहा है। गाद हटाने के काम में प्रगति लाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
	19	कच्ची घाट, खिड़की घाट, पत्थर घाट, अदरक घाट	• एप्रोच रोड के निर्माण कार्य में प्रगति की आवश्कता है।	पटना नगर निगम
17	20	शरीफागंज घाट	• घाट पर दलदली मिट्टी बहुत रहने के कारण इसे पोकलेन मशीन लगाकर हटाया जाना जरूरी है।	पटना नगर निगम
17	21	अब्दुल रहमानपुर घाट	• घाट पर गाँव और मुहल्ला का गंदा नाली का पानी घाट से सटे जमा है, जिसके	पटना नगर निगम

			निकासी का वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी है।	
18	22	दीदारगंज घाट	• मुख्य धारा जहाँ लोग छठ करते हैं, उसके समानांतर में एक स्ट्रीम है जिस पर एप्रोच रोड बनाए जाने हेतु कार्य में तेजी एवं कामगारो की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
18	23	दीदारगंज घाट बालू घाट	• एप्रोच रोड कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
18	24	जमुराही घाट	• सफाई कार्य में प्रगति लाने की अत्यंत आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
18	25	शिव घाट	• मुख्य धारा जहाँ लोग छठ करते हैं, उसके समानांतर में एक स्ट्रीम है जिस पर एप्रोच रोड बनाए जाने हेतु कार्य में तेजी एवं कामगारों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
18	26	महावीर घाट	• मुख्य धारा जहाँ लोग छठ करते हैं, उसके समानांतर में एक स्ट्रीम है जिस पर एप्रोच रोड बनाए जाने हेतु कार्य में तेजी एवं कामगारों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।	पटना नगर निगम
21	27	हल्दी छपरा घाट मनेर	• इस घाट का करीब 200 मीटर क्षेत्र कटाव के कारण अत्यंत खतरनाक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष करीब 50 हजार से 1 लाख लोग छठ पूजा के लिए आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हल्दी छपरा घाट की बैरिकेडिंग जिला स्तर से करवाया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है।	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग जॉच कर प्रतिवेदन देंगे तदोपरान्त नजारत उप समाहर्त्ता, पटना द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

23/X/24